राउराम बनाम हनुमानराम — राजस्व वाद संख्या 148/2019

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
29/11/19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण को सुना गया वादीगण ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा, ग्राम साजीतडा, तह0 शिव में आया हुआ है। उपरोक्त सम्पूर्ण खेत पर वादी का ही काश्त कब्जा व रहवासी ढाणी है एंव वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा सम्पूर्ण वादी राऊराम के हिस्से में रख दी है खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा ग्राम साजीतडा की सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में घोषित की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1. हनुमानराम, 2. नरसिंगाराम का नाम उक्त खसरा नम्बर में से हटाया जावे क्योकि उक्त खसरा नम्बर का खेत वादी को आपसी सहमति बंटवाडा में दे दिया है तथा वादी व प्रतिवादीगण सगे भाई कि प्रतिवादी हनुमानराम को दूसरा खेत खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा ग्राम साजीतडा मे से 63.5.07 बीघा भूमि बंट में आती है वह भूमि भाई बंट मे हनुमानराम को दे दी है तथा खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा भूमि राऊराम को दे दी है तथा शेष रकबा 8.14.13 बीघा भूमि जो राउराम के कम पडती है व भूमि खेत खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा मे से दे दी है तथा इसी प्रकार नरसिंगाराम के हिस्से की भूमि रकबा 4.10.13 बीघा भूमि खसरा नम्बर 389/87 रकबा 120 बीघा मे से बडे भाई हनुमानसिह को दे दी है। खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा सम्पूर्ण भूमि वादी राउराम के खातेदारी मे घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1. हनुमानराम उर्फ हनुमानसिह, 2. नरसिंगाराम का नाम हटाया जावें। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर वादी की रहवासी ढाणी, टॉका, ट्यूब वैल बना हुआ है। उक्त भूमि पर वादी का 40 वर्षो से कब्जा काश्त है तथा वादी अकेला ही उक्त भूमि पर अपनी पैदावार शान्तिपूर्वक लेता आ रहा है। वाद पंजीयन कर प्रतिवादी को सम्मन भेजे गये। प्रतिवादीगण स्वंय ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा दावा के समर्थन मे अपना शपथ पत्र पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू–2 का पेश किया तथा साथ ही दस्तावेज ई.एक्स.–1 टयूब वैल का विद्युत बिल, ई.एक्स.–2 वर्तमान जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव तथा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाद पत्र अनुसार दावा डिकी किया जावे। हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सूना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 425/153, 389/87, 395/103 को संयुक्त रूप से देखते हुए हस्तगत प्रकरण एक पारिवारिक बंटवाडे का ही है। खसर नम्बर 389/87 में हडुमानराम, राऊराम, वीरमाराम का अंकन है। खसरा नम्बर	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

[redacted] डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राऊराम पुत्र गंगाराम, जाति–जाट, नि0 साजीतडा तह0 शिव		1. हनुमान उर्फ हनुमानसिह पुत्र गंगाराम, 2. नरसीगाराम पुत्र गंगाराम, जाति–जाट, नि0 साजीतडा तह0 शिव

मुकदमा नम्बर :–148/2019

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act

दिनांकः– 29.11.2019

वादी की ओर से वकील श्री राउराम चौधरी एवं प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे आज दिनांक 29/11/19.......... में को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने के आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी मे घोषित की जाती है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/19.............. को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

425/153 मे हनुमान और नरसिंगा का अंकन है। खसरा नम्बर 395/103 मे हनुमानराम, राऊराम, नरसिंगाराम का अंकन है तथा भूमि पर तीनो भाईयो के आपस मे खेतो की भी जमाबन्दीया व ट्युब वैल बिल, जिसमे यह साबित होता है कि तीनो भाईयो के अलग खेत व काश्त हेतु ट्युब वैल बने हुए है तथा इसी माफिक काबिज है। वाद मे सहमति होने से किसी प्रकार का विवाधक विरचित नही किये गये तथा न ही कोई विवाद है क्योकि प्रतिवादीगण ने सहमति प्रदान की है तथा पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नही है। मौके पर कब्जा काश्त होना तथा तीनों भाईयो के अलग अलग ट्युब वैल होना साबित है कि पक्षकारों के मध्य सहमति होना तथा अपसी सौहार्द बना रहे इसलिये तीनों भाईयो ने आपस में बैठ कर राजीनामा (सहमतिपूर्वक) अपनी भूमि का बंटवाडा कर लिया है कि आपस मे सहमति होना तथा सहमति अनुसार कब्जा होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य है। वादी राऊराम के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव की सम्पूर्ण भूमि वादी के खातेदारी में घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। क्यो कि प्रतिवादी 1. हनुमानराम उर्फ हनुमानसिह, 2. नरसीगाराम को इसी ग्राम साजीतडा मे दुसरी जगह भूमि आपसी सहमति से दे दी है तथा पारिवारीक बंटवाडा होने से ट्रांसफर की श्रेणी में नही आता है।

लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 395/103 रकबा 50 बीघा ग्राम साजीतडा तह0 शिव की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी मे घोषित की जाती है। रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/11/17.........को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:12:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: